रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY.
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 188] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 20, 2003/कार्तिक 29, 1925
No. 188] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 20, 2003/KARTIKA 29, 1925

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 20 नवम्बर, 2003

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (बाजार सहभागियों के केन्द्रीय डाटाबेस) विनियम, 2003

फा. सं. भाप्रविबो/विधि/26/2003.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11, 11क, 12 और 19 के साथ पठित धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात :—

अध्याय I

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** (1) इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (बाजार सहभागियों के केंद्रीय डाटाबेस) विनियम, 2003 कहा जा सकेगा।

(2) ये विनियम ऐसी तारीख को प्रवृत्त होंगे जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये :

परंतु यह कि इन विनियमों के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें विनिर्दिष्ट की जा सकेंगी और इन विनियमों के प्रारंभ के प्रति किसी ऐसे उपबंध में किसी निर्देश का अर्थ उस उपबंध के प्रारंभ के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जायेगा ।

परिभाषाएँ

2. (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(क) 'अधिनियम' से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 अभिप्रेत है;

(ख) 'सहयुक्त', मध्यवर्ती या सूचीबद्ध कंपनी के संबंध में, से वह व्यक्ति अभिप्रेत है :

(i) जो, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, स्वयं द्वारा या अपने नातेदारों के साथ मध्यवर्ती या सूचीबद्ध कंपनी पर नियंत्रण प्रयुक्त करता है अथवा जिसके पास मध्यवर्ती या सूचीबद्ध कंपनी की समादत्त इक्विटी पूँजी में 15% से कम की धारिता न हो ;

(ii) जिसकी बाबत मध्यवर्ती या सूचीबद्ध कंपनी प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः नियंत्रण प्रयुक्त करती है ;

(iii) जिसका निदेशक या भागीदार मध्यवर्ती या सूचीबद्ध कंपनी का भी निदेशक या भागीदार है

स्पष्टीकरण - इस खंड के प्रयोजनों के लिए -

(I) 'नियंत्रण' से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 1997 के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (ग) में यथा परिभाषित नियंत्रण अभिप्रेत है ;

(II) 'निदेशक' में नामनिर्देशिती निदेशक सम्मिलित नहीं होता है ;

(III) 'व्यक्ति' से प्रकृत व्यक्ति, कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी, निगमित निकाय, भागीदारी समुत्थान, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत न्यास या सोसाइटी अथवा कोई अन्य विधिक सत्ता अभिप्रेत है ।

(ग) 'बोर्ड' से अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अभिप्रेत है ;

(घ) 'केंद्रीय डाटाबेस' से जानकारी का इलेक्ट्रॉनिक रूपण और भंडारण अभिप्रेत है जिसे उन व्यक्तियों की बाबत पदाभिहित सेवा प्रदाता द्वारा सृजित किया और बनाये रखा जा सकेगा जिन्हें इन विनियमों के अधीन विशिष्ट पहचान संख्याएँ आबंटित की गयी हैं ;

(ङ) 'केंद्रीय सूचीबद्धता प्राधिकरण' से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (केंद्रीय सूचीबद्धता प्राधिकरण) विनियम, 2003 के विनियम 3 के अधीन स्थापित केंद्रीय सूचीबद्धता प्राधिकरण अभिप्रेत है ;

(च) 'पदाभिहित कर्मचारी', सूचीबद्ध कंपनी या उस कंपनी के संबंध में जो इसकी प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध कराने का इरादा रखती है, से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 1992 की अनुसूची I के भाग क के खंड 1.2 के स्पष्टीकरण के अर्थ के भीतर पदाभिहित कर्मचारी अभिप्रेत है ;

(छ) 'पदाभिहित सेवा प्रदाता' से ऐसे निबंधन और शर्तों जिनका करार उसके और बोर्ड के बीच किया जाये पर केंद्रीय डाटाबेस सृजित करने और बनाये रखने के लिए और इन विनियमों के अधीन ऐसे अन्य कृत्यों जो बोर्ड द्वारा उसको प्रत्यायोजित किये जायें का पालन करने के लिए बोर्ड द्वारा इस प्रकार पदाभिहित व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(ज) 'मध्यवर्ती' से कोई व्यक्ति जो अधिनियम की धारा 12 के अधीन बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत है अभिप्रेत है, किंतु उसके अंतर्गत विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता और विदेशी जोखिम पूँजी विनिधानकर्ता नहीं आते हैं ;

(झ) 'विनिधानकर्ता' से प्रतिभूतियों में विनिधानकर्ता अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता और विदेशी जोखिम पूँजी विनिधानकर्ता आता है ;

(ञ) 'सूचीबद्ध कंपनी' से कंपनी जिसकी प्रतिभूतियाँ मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं अभिप्रेत है और के अंतर्गत वह पब्लिक कंपनी आती है जो इसकी प्रतिभूतियों को मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कराने का इरादा रखती है ;

(ट) 'बाजार सहभागियों' से मध्यवर्ती, अन्य सत्ताएँ, विनिधानकर्ता, सूचीबद्ध कंपनियाँ और कंपनियाँ जो उनकी प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध कराने का इरादा रखती हैं अभिप्रेत हैं ;

(ठ) 'अन्य सत्ता (एन्टिटी)' से कोई मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, समाशोधन निगम (क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन), प्रतिभूति उधार स्कीम 1997 के अधीन अनुमोदित मध्यवर्ती, निवेशक संघ अभिप्रेत हैं और के अंतर्गत कोई अन्य व्यक्ति जिसे बोर्ड द्वारा मान्यता प्रदान की गयी हो, स्व-विनियामक संगठन से कोई लाइसेंस या अनुमोदन अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित कोई व्यक्ति और प्रतिभूति बाजार से किसी प्रकार से सहयुक्त कोई अन्य व्यक्ति आता है जैसा बोर्ड द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया जाये ;

(ड) 'संप्रवर्तक' से अभिप्रेत है -

(1) कोई एक व्यक्ति या अधिक व्यक्ति जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कंपनी के नियंत्रण में हों ; या

(2) प्रस्ताव दस्तावेज में अथवा सूचीबद्धता करार के उपबंधों के अधीन कंपनी द्वारा प्रकट किये गये शेयरधारिता क्रम में, जो बाद वाला हो, "संप्रवर्तकों" के रूप में नामित कोई एक व्यक्ति या अधिक व्यक्ति;

और के अंतर्गत आता है,

(क)जहां ऐसा व्यक्ति व्यष्टि हो,

(i) उसका पति या पत्नी, माता-पिता, भाई, बहिनें या संतान

(ii) कोई कंपनी जिसमें इक्विटी शेयर पूंजी का 26% या अधिक उसके द्वारा या उप-खंड (i) में उल्लिखित व्यक्तियों द्वारा धारित है अथवा कोई फर्म या हिन्दू अविभक्त कुटुंब जिसमें वह या उप-खंड (i) में उल्लिखित व्यक्तियों में से कोई भागीदार या सदस्य है ;

(iii) कोई कंपनी जिसमें उपर्युक्त उप-खंड (ii) में विनिर्दिष्ट कंपनी, इक्विटी शेयर पूंजी का 50% से अधिक धारण करती है ;

(iv) कोई फर्म जिसमें उसकी धारिता और उप-खंड (i) में उल्लिखित व्यक्तियों की धारिताओं का योग 50% से अधिक है;

(ख)जहां ऐसा व्यक्ति निगमित निकाय हो,

(i) उस निगमित निकाय की समनुषंगी या नियंत्री कंपनी ;

(ii) कोई कंपनी जिसमें उक्त निगमित निकाय इक्विटी शेयर पूंजी का 26% या अधिक धारण करता है ;

(iii) कोई कंपनी जो उक्त निगमित निकाय की इक्विटी शेयर पूंजी का 26% या अधिक धारण करती है ;

(iv) कोई कंपनी जिसमें व्यक्तियों का समूह इक्विटी शेयर पूंजी का 26% या अधिक धारण करता है और व्यक्तियों का वह समूह ऐसे निगमित निकाय में इक्विटी शेयर पूंजी का 26% या अधिक भी धारण करता है;

(v) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 370 की उप-धारा (1ख) के अर्थ के भीतर उक्त निगमित निकाय के रूप में उसी प्रबंधतंत्र के अधीन कोई अन्य निगमित निकाय ;

स्पष्टीकरण I : वित्तीय संस्था, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, विदेशी संस्थागत

विनिधानकर्ता या पारस्परिक निधि को केवल इसकी शेयरधारिता के फलस्वरूप संप्रवर्तक नहीं समझा जायेगा ।

स्पष्टीकरण ॥ : वित्तीय संस्था, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता को इसकी समनुषंगी का और इसके द्वारा प्रायोजित पारस्परिक निधियों का संप्रवर्तक नहीं समझा जायेगा ।

(ढ) 'मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज' से स्टॉक एक्सचेंज जिसे प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 4 के अधीन मान्यता प्रदान की गयी हो अभिप्रेत है ;

(ण) 'नातेदार', प्रकृत व्यक्ति के संबंध में, से उसका पति या पत्नी, आश्रित संतान और आश्रित माता-पिता अभिप्रेत हैं ;

(त) 'संबंधित व्यक्ति' से मध्यवर्ती या अन्य सत्ता की बाबत विनियम 4 के उप-विनियम (1) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति और सूचीबद्ध कंपनी या अपनी प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध कराने का इरादा रखने वाली कंपनी की बाबत विनियम 5 के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति अभिप्रेत हैं ;

(थ) 'अनुसूची' से इन विनियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है ;

(द) 'प्रतिभूतियाँ' से प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 के खंड (ज) में यथा परिभाषित प्रतिभूतियाँ अभिप्रेत हैं ;

(ध) 'स्व-विनियामक संगठन' से मध्यवर्तियों का वह संगठन अभिप्रेत है जो प्रतिभूति बाजार के विशिष्ट खंड (सेगमेंट) का प्रतिनिधित्व कर रहा है और जिसका स्वरूप बोर्ड के पास सम्यक रूप से मान्यताप्राप्त कंपनी के रूप का हो और जिसके अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज नहीं आता है ;

(न) 'विनिर्दिष्ट मध्यवर्ती' से ऐसे मध्यवर्ती या अन्य सत्ताएँ अभिप्रेत हैं जो विनियम 4 के उप-विनियम (1) के अनुसरण में राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना में बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायें ;

(प) 'विनिर्दिष्ट विनिधानकर्ता' से ऐसे विनिधानकर्ता अभिप्रेत हैं जो विनियम 6 के उप-विनियम (1) के अनुसरण में राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना में बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायें ;

(फ) 'विनिर्दिष्ट सूचीबद्ध कंपनी' से ऐसी कंपनियाँ अभिप्रेत हैं जो विनियम 5 के अनुसरण में राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना में बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें ; और,

(ब) 'विशिष्ट पहचान संख्या' से इन विनियमों के अधीन प्रत्येक आवेदक के लिए केंद्रीय डाटाबेस में सृजित और को आबंटित पहचान संख्या अभिप्रेत है ।

(2)(क) इन विनियमों में उपयोग किए गए और अपरिभाषित शब्दों और पदों के अर्थ, यदि कोई हों, अधिनियम के अधीन उनके लिए क्रमशः नियत होंगे ।

(ख) या तो इन विनियमों में या अधिनियम में उपयोग किए गए और अपरिभाषित शब्दों और पदों, के अर्थ, यदि कोई हों, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 या किसी कानूनी उपांतरण या उसकी पुनःअधिनियमिति में उनके लिए क्रमशः नियत होंगे ।

(ग) या तो इन विनियमों में, या अधिनियम में या प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 में उपयोग किए गए और अपरिभाषित शब्दों और पदों के अर्थ, यदि कोई हों, कंपनी अधिनियम, 1956, या किसी कानूनी उपांतरण या उसकी पुनःअधिनियमिति के अधीन उनके लिए क्रमशः नियत होंगे ।

अध्याय II

विशिष्ट पहचान संख्याएँ अभिप्राप्त करने की अपेक्षा

बाजार सहभागियों के लिए विशिष्ट पहचान संख्याएँ

3. प्रत्येक विनिर्दिष्ट मध्यवर्ती, अन्य सत्ता (एन्टिटी), विनिर्दिष्ट सूचीबद्ध कंपनी और

विनिर्दिष्ट विनिधानकर्ता इन विनियमों के अनुसार स्वयं के लिए और इसके संबंधित व्यक्तियों के लिए विशिष्ट पहचान संख्याओं के आबंटन के लिए आवेदन करेगा ।

विनिर्दिष्ट मध्यवर्ती और अन्य सत्ता - विशिष्ट पहचान संख्याएँ अभिप्राप्त करना

4. (1) ऐसी तारीख से ही जो बोर्ड द्वारा राजपत्र में अधिसूचित की जाये, कोई विनिर्दिष्ट मध्यवर्ती या अन्य सत्ता ऐसी हैसियत से कार्य नहीं करेगी, जब तक कि -

(क) इसने पदाभिहित सेवा प्रदाता से विशिष्ट पहचान संख्या अभिप्राप्त न कर ली हो ; और,

(ख) निम्नलिखित संबंधित व्यक्तियों को पदाभिहित सेवा प्रदाता द्वारा विशिष्ट पहचान संख्याएँ आबंटित न कर दी गयी हों :

(i) इसका प्रधान अधिकारी और कार्मिक जो मध्यवर्ती के प्रचालनगत क्रियाकलापों में लगा हुआ हो जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र बोर्ड से अपेक्षित या लिया जाता है ;

(ii) इसके संप्रवर्तक, केंद्रीय या राज्य सरकार अथवा किसी कानूनी प्राधिकरण से भिन्न ;

(iii) इसके निदेशक, यदि यह निगमित निकाय है;

(iv) इसके भागीदार, यदि यह भागीदारी फर्म है ;

(v) इसके सहयुक्त और उनके निदेशक ;

(vi) प्रायोजक, न्यासी, आस्ति प्रबंध कंपनियाँ और आस्ति प्रबंधक, जहाँ लागू हो ;

(vii) इसका स्वत्वधारी, जहाँ लागू हो ; और,

(viii) उपर्युक्त उप-खंड (i) से (vii) में उल्लिखित प्रकृत व्यक्तियों के नातेदार ।

परंतु यह कि ऐसा व्यक्ति मध्यवर्ती या अन्य सत्ता के रूप में कार्य करना जारी रख सकेगा यदि इसने अधिसूचित तारीख से पहले विनियम 7 के अधीन विशिष्ट पहचान संख्या के आबंटन के लिए आवेदन कर दिये हों और जहाँ ऐसा आवेदन बोर्ड द्वारा नामंजूर कर दिया गया हो, तो वहां अपील दाखिल कर दी गयी हो और ऐसी अपील निपटान के लिए लंबित है।

(2) विनिर्दिष्ट मध्यवर्ती को इन विनियमों के प्रारंभ के पश्चात् बोर्ड द्वारा जारी प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र इस शर्त के अध्यधीन होगा कि इसके क्रियाकलापों के प्रारंभ से पूर्व, मध्यवर्ती इन विनियमों के अनुसार स्वयं के लिए और उप-विनियम (1) के खंड (ख) में उल्लिखित व्यक्तियों के लिए विशिष्ट पहचान संख्या अभिप्राप्त करेगा ।

विनिर्दिष्ट सूचीबद्ध कंपनी - विशिष्ट पहचान संख्या अभिप्राप्त करना

5. ऐसी तारीख से ही जो बोर्ड द्वारा राजपत्र में अधिसूचित की जाये, कोई विनिर्दिष्ट सूचीबद्ध कंपनी या कंपनी जो इसकी प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध कराने का इरादा रखती है कोई प्रतिभूतियाँ निर्गमित नहीं करेगी जो मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किये जाने के लिए प्रस्तावित हैं, जब तक कि :

क. इसने पदाभिहित सेवा प्रदाता से विशिष्ट पहचान संख्या अभिप्राप्त न कर ली हो ; और,

ख. निम्नलिखित संबंधित व्यक्तियों को पदाभिहित सेवा प्रदाता द्वारा विशिष्ट पहचान संख्याएँ आबंटित न कर दी गयी हों :

(i) इसके संप्रवर्तक, केंद्रीय या राज्य सरकार अथवा किसी कानूनी प्राधिकरण से भिन्न ;

(ii) इसके निदेशक और अधिकारी ;

(iii) इसके पदाभिहित कर्मचारी ;

(iv) इसके समनुषंगी, इसकी नियंत्री कंपनी और नियंत्री कंपनी के समनुषंगी, यदि कोई हों ;

(v) इसके सहयुक्त और उनके निदेशक ; और,

(vi) उपर्युक्त उप-खंड (i) से (iii) और (v) में उल्लिखित प्रकृत व्यक्तियों के नातेदार ।

परंतु यह कि विनिर्दिष्ट सूचीबद्ध कंपनी, प्रतिभूतियों जो किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किये जाने के लिए प्रस्तावित हैं का निर्गम कर सकेगी यदि इसने अधिसूचित तारीख से पहले विशिष्ट पहचान संख्या के आबंटन के लिए आवेदन कर दिया हो, आवेदन का निपटान होने तक और जहां अपील दाखिल कर दी गयी हो, ऐसी अपील का निपटान होने तक ।

विनिर्दिष्ट विनिधानकर्ता - विशिष्ट पहचान संख्याएँ अभिप्राप्त करना

6. (1) ऐसी तारीख से ही जो बोर्ड द्वारा राजपत्र में अधिसूचित की जाए, कोई विनिर्दिष्ट विनिधानकर्ता, निगमित निकाय न होते हुए, किन्हीं प्रतिभूतियों में जो किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं या पारस्परिक निधि या सामूहिक विनिधान स्कीम की यूनिटों में खरीद, बिक्री या व्यौहार नहीं करेगा अथवा प्रतिभूतियों में जो किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किये जाने के लिए प्रस्तावित हैं या पारस्परिक निधि या सामूहिक विनिधान स्कीम की यूनिटों में अभिदान नहीं करेगा जब तक कि उसे विशिष्ट पहचान संख्या आबंटित न कर दी गयी हो।

(2) ऐसी तारीख से ही जो बोर्ड द्वारा राजपत्र में अधिसूचित की जाए, कोई विनिर्दिष्ट विनिधानकर्ता, निगमित निकाय होते हुए, किन्हीं प्रतिभूतियों जो किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं या पारस्परिक

निधि या सामूहिक विनिधान स्कीम की यूनिटों में खरीद, बिक्री या व्यौहार नहीं करेगा अथवा प्रतिभूतियों जो किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किये जाने के लिए प्रस्तावित हैं या पारस्परिक निधि या सामूहिक विनिधान स्कीम की यूनिटों में अभिदान नहीं करेगा जब तक कि ऐसे विनिर्दिष्ट विनिधानकर्ता, इसके संप्रवर्तकों और निदेशकों को विशिष्ट पहचान संख्याएँ आबंटित न कर दी गयी हों।

(3) ऐसी तारीख से ही जो बोर्ड द्वारा राजपत्र में अधिसूचित की जाए, कोई विनिर्दिष्ट विनिधानकर्ता, विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता, उप-लेखा या विदेशी जोखिम पूँजी विनिधानकर्ता होते हुए, किन्हीं प्रतिभूतियों जो किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं या पारस्परिक निधि या सामूहिक विनिधान स्कीम की यूनिटों में खरीद, बिक्री या व्यौहार नहीं करेगा अथवा प्रतिभूतियों जो किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किये जाने के लिए प्रस्तावित हैं या पारस्परिक निधि या सामूहिक विनिधान स्कीम की यूनिटों में अभिदान नहीं करेगा जब तक कि इसे विशिष्ट पहचान संख्या आबंटित न कर दी गयी हो।

(4) कोई मध्यवर्ती, ऐसी विनिर्दिष्ट तारीख के पश्चात्, विनिर्दिष्ट विनिधानकर्ता की ओर से ऐसी प्रतिभूतियों में व्यौहार नहीं करेगा या को

ऐसी प्रतिभूतियाँ आबंटित नहीं करेगा जब तक कि विनिधानकर्ता को विशिष्ट पहचान संख्या आबंटित न कर दी गयी हो।

(5) इस विनियम की कोई भी बात किसी विनिर्दिष्ट विनिधानकर्ता जिसने अधिसूचित तारीख से पहले विनियम 9 के अधीन विशिष्ट पहचान संख्या के आबंटन के लिए आवेदन किया हो पर लागू नहीं होगा, उसके आवेदन का निपटान होने तक या, जहाँ उसने अपील दाखिल की हो, अपील का निपटान होने तक, यथास्थिति।

विनिर्दिष्ट मध्यवर्ती या अन्य सत्ता द्वारा आवेदन

7. प्रत्येक विनिर्दिष्ट मध्यवर्ती या अन्य सत्ता स्वयं के लिए और इसके संबंधित व्यक्तियों के लिए विशिष्ट पहचान संख्याओं के आबंटन के लिए पदाभिहित सेवा प्रदाता को विनियम 12 के उप-विनियम (1) के अनुसार आवेदन करेगी।

विनिर्दिष्ट सूचीबद्ध कंपनी द्वारा आवेदन

8. (1) प्रत्येक विनिर्दिष्ट सूचीबद्ध कंपनी स्वयं के लिए और इसके संबंधित व्यक्तियों के लिए विशिष्ट पहचान संख्याओं के आबंटन के लिए विनियम 12 के उप-विनियम (2) के अनुसार पदाभिहित सेवा प्रदाता को आवेदन करेगी।

(2) विनियम 5 के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्रत्येक पब्लिक कंपनी और जो मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में इसकी प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध कराने का इरादा रखती है केंद्रीय सूचीबद्धता प्राधिकरण के पास

प्रस्ताव दस्तावेज दाखिल करने के साथ-साथ स्वयं के लिए और विनियम 4 के खंड (ख) में उल्लिखित संबंधित व्यक्तियों के लिए विशिष्ट पहचान संख्याओं के आबंटन के लिए पदाभिहित सेवा प्रदाता को आवेदन करेगी।

विनिर्दिष्ट विनिधानकर्ता द्वारा आवेदन

9. प्रत्येक विनिर्दिष्ट विनिधानकर्ता विशिष्ट पहचान संख्या के आबंटन के लिए विनियम 12 के उप-विनियम (3) के अनुसार पदाभिहित सेवा प्रदाता को आवेदन करेगा।

विशिष्ट पहचान संख्या धारण करनेवाला व्यक्ति - एक अन्य विशिष्ट पहचान संख्या अभिप्राप्त करना अपेक्षित नहीं

10. इन विनियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति एक अन्य विशिष्ट पहचान संख्या के लिए आवेदन करने के लिए बाध्य नहीं होगा या उसे यह आबंटित नहीं की जायेगी, यदि वह पहले से ही किसी अन्य हैसियत में इन विनियमों के अधीन उसे आबंटित विशिष्ट पहचान संख्या धारित करता है।

परंतु यह कि जहाँ विशिष्ट पहचान संख्या धारण करनेवाला कोई व्यक्ति तत्पश्चात् मध्यवर्ती या सूचीबद्ध कंपनी या उनमें से किसी का संबंधित व्यक्ति बन जाता है, तो वह पदाभिहित सेवा प्रदाता को ऐसा तथ्य प्रकट करेगा।

अभिलेखों को बनाये रखना

11. पदाभिहित सेवा प्रदाता ऐसी बहियाँ, अभिलेख और दस्तावेज, ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के लिए बनाये रखेगा, जैसा बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

अध्याय III

विशिष्ट पहचान संख्याएँ प्रदान करना और का वापस लिया जाना

आवेदन का प्ररूप

12. (1) विनिर्दिष्ट विनिधानकर्ता या विनिर्दिष्ट मध्यवर्ती के संबंधित व्यक्ति या विनिर्दिष्ट सूचीबद्ध कंपनी, प्रकृत व्यक्ति होते हुए, द्वारा किया गया प्रत्येक आवेदन, विनियम 7, 8 या 9 के अधीन, यथास्थिति, अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप क में होगा और जिसके साथ, यथास्थिति, विनियम 4, 5 या 6 के अधीन जारी अधिसूचनाओं में यथा विनिर्दिष्ट फीस लगायी जायेगी ।

(2) विनिर्दिष्ट सूचीबद्ध कंपनी, विनिर्दिष्ट मध्यवर्ती, उपर्युक्त में से किसी के संबंधित व्यक्ति या विनिर्दिष्ट विनिधानकर्ता, प्रकृत व्यक्ति से भिन्न होते हुए, द्वारा किया गया प्रत्येक आवेदन विनियम 7, 8 या 9 के अधीन, यथास्थिति, अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप ख में होगा और जिसके साथ, यथास्थिति, विनियम 4, 5 या 6 के अधीन जारी अधिसूचनाओं में यथा विनिर्दिष्ट फीस लगायी जायेगी ।

आवेदन की प्राप्ति पर प्रक्रिया

13. (1) इन विनियमों के अधीन विशिष्ट पहचान संख्या के आबंटन के लिए आवेदन की प्राप्ति पर, पदाभिहित सेवा प्रदाता, यदि आवेदन त्रुटिपूर्ण नहीं पाया जाता है, आवेदक को आवेदन की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर विशिष्ट पहचान संख्या आबंटित करेगा ।

(2) जहाँ यह पाया जाता है कि कोई ऐसा आवेदन त्रुटिपूर्ण है, तो पदाभिहित सेवा प्रदाता त्रुटि की सूचना आवेदक को दे सकेगा और इसे ऐसी सूचना की तारीख से पंद्रह दिनों की कालावधि के भीतर अथवा ऐसी अतिरिक्त कालावधि के भीतर जिसे बोर्ड इस निमित्त किये गये अनुरोध पर अनुज्ञात करे त्रुटि में सुधार करने का अवसर दे सकेगा ।

(3) जहाँ आवेदन में किसी त्रुटि की सूचना उप-विनियम (2) के अधीन दी जाती है और त्रुटि में पंद्रह दिनों की उक्त कालावधि या, यथास्थिति, उप-विनियम (2) के अधीन अनुज्ञात अतिरिक्त कालावधि के भीतर आवेदक द्वारा सुधार नहीं किया जाता है, तब, इस अध्याय के किसी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, पदाभिहित सेवा प्रदाता आवेदन बोर्ड को निर्देशित करेगा, जो या तो पदाभिहित सेवा प्रदाता को विशिष्ट पहचान संख्या आबंटित करने या आवेदक को अभ्यावेदन करने का अवसर देने के पश्चात् आवेदन को नामंजूर करने का निदेश दे सकेगा ।

विनिर्दिष्ट मध्यवर्तियों, विनिर्दिष्ट सूचीबद्ध कंपनियों और विनिर्दिष्ट विनिधानकर्ताओं को अवधारित करने के लिए कारक

14. विनियम 4 के उप-विनियम (1) या विनियम 5 या विनियम 6 के उप-विनियम (1) के अधीन मध्यवर्तियों, सूचीबद्ध कंपनियों या विनिधानकर्ताओं को विनिर्दिष्ट करने के प्रयोजनों के लिए, बोर्ड निम्नलिखित कारकों पर विचार कर सकेगा :

(क) मध्यवर्तियों या अन्य सत्ताओं के विषय में - उनके कृत्यों का प्रकार और स्वरूप जिनका उन्होंने पालन किया हो, उनकी शुद्ध-मालियत और अन्य समरूप कारक ;

(ख) सूचीबद्ध कंपनियों या कंपनियों जो उनकी प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध कराने का इरादा रखती हैं के विषय में - उनकी समादत्त पूंजी, उनके सार्वजनिक शेयरधारकों की संख्या, उनकी प्रतिभूतियों में व्यापार का परिमाण, प्रस्तावित निर्गम-आकार और अन्य समरूप कारक ; और,

(ग) विनिधानकर्ताओं के विषय में - किसी सूचीबद्ध कंपनी की प्रतिभूतियों में उनके द्वारा किये गये निवेश की मात्रा या विशिष्ट वित्तीय वर्ष में प्रतिभूतियों में उनके व्यापार का परिमाण ।

मिथ्या कथन न करने की बाध्यता और विशिष्ट पहचान संख्या का वापस लिया जाना

15. (1) कोई व्यक्ति इन विनियमों के अधीन पदाभिहित सेवा प्रदाता को किये गये किसी आवेदन में मिथ्या कथन या किसी तथ्य का दुर्व्यपदेशन नहीं करेगा ।

(2) इन विनियमों के अधीन पदाभिहित सेवा प्रदाता को किया गया प्रत्येक आवेदन और विनियम 17 के अधीन दी गयी प्रत्येक सूचना को सत्य और सही के रूप में प्रमाणित किया जायेगा :

(क) मध्यवर्ती के मामले में, इसके पूर्णकालिक निदेशक, प्रबंध भागीदार, प्रबंध न्यासी या

एकमात्र स्वत्वधारी द्वारा, यथास्थिति, और इसके अनुपालना अधिकारी द्वारा ;

(ख) सूचीबद्ध कंपनी के मामले में, इसके पूर्णकालिक निदेशक और इसके कंपनी सचिव या लेखापरीक्षक द्वारा ; और,

(ग) विनिधानकर्ता के मामले में, उसके द्वारा ।

विशिष्ट पहचान संख्या का वापस लिया जाना

16. (1) जहाँ यह पाया जाता है कि विशिष्ट पहचान संख्या व्यक्ति द्वारा कपट या दुर्व्यपदेशन के माध्यम से अभिप्राप्त की गयी थी या उसको भूल से आबंटित की गयी थी, तो बोर्ड, अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो यह तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन और उसे अभ्यावेदन करने का अवसर देने के पश्चात् कर सकेगा, उसको या संबंधित व्यक्तियों को आबंटित विशिष्ट पहचान संख्या को वापस ले सकेगा ।

(2) व्यक्ति की विशिष्ट पहचान संख्या को वापस लिये जाने पर, इन विनियमों के उपबंध वापस लिये जाने की तारीख से लागू होंगे, मानो कि कोई विशिष्ट पहचान संख्या उसको आबंटित ही नहीं थी ।

(3) इन विनियमों के अधीन बोर्ड द्वारा पारित प्रत्येक आदेश लिखित में होगा ।

अध्याय IV

सतत् बाध्यता

परिवर्तनों को सूचित करने का कर्तव्य

17. (1) प्रत्येक व्यक्ति जिसे इन विनियमों के अधीन विशिष्ट पहचान संख्या आबंटित की गयी हो परिवर्तनों की सूचना देगा, यदि कोई हों, आवेदन में उसके द्वारा प्रस्तुत विशिष्टियों में, पदाभिहित सेवा प्रदाता को, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक या अन्य रीति में जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये, परिवर्तन के होने के तीस दिनों के भीतर।

(2) प्रत्येक मध्यवर्ती स्वयं का समाधान करने के लिए सम्यक् तत्परता बरतेगा कि इसके ग्राहकों ने, विनिर्दिष्ट विनिधानकर्ता होते हुए, उप-विनियम (1) का अनुपालन किया है ।

नये परिवर्धित संबंधित व्यक्तियों के लिए विशिष्ट पहचान संख्याएँ मांगने की बाध्यता

18. (1) प्रत्येक विनिर्दिष्ट मध्यवर्ती और अन्य सत्ता किसी व्यक्ति के संबंधित व्यक्ति बन जाने के तीस दिनों के भीतर, सुनिश्चित करेगी कि ऐसे व्यक्ति को विशिष्ट पहचान संख्या आबंटित कर दी गयी है अथवा ने इसके लिए आवेदन कर दिया है ।

(2) प्रत्येक विनिर्दिष्ट सूचीबद्ध कंपनी किसी व्यक्ति के संबंधित व्यक्ति बन जाने के तीस दिनों के भीतर, सुनिश्चित करेगी कि ऐसे व्यक्ति को विशिष्ट पहचान संख्या आबंटित कर दी गयी है अथवा ने इसके लिए आवेदन कर दिया है ।

अध्याय V

अतिक्रमण के मामले में कार्रवाई

विशिष्ट पहचान संख्या अभिप्राप्त किये बिना कार्य करने, व्यौहार करने के लिए कार्रवाई

19. कोई व्यक्ति जो इन विनियमों के उल्लंघन में किसी प्रतिभूति का निर्गमन करता है अथवा किन्हीं प्रतिभूतियों को खरीदता, बेचता या उनमें व्यौहार करता है -

(क) अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (4) के अधीन कार्रवाई;

(ख) प्रतिभूतियों की असूचीबद्धता;

(ग) प्रतिभूति बाजार से संबंधित किसी संस्था में किसी हैसियत में कार्य करने से विवर्जित किये जाने;

(घ) ऐसी अन्य कार्रवाई जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में बोर्ड द्वारा समुचित समझी जाए;

के लिए दायी होगा ।

परंतु यह कि कोई ऐसी कार्रवाई सुसंगत

नियमों या विनियमों के अधीन अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण किये बिना नहीं की जायेगी।

मिथ्या कथन देने के लिए कार्रवाई 20. कोई व्यक्ति जो पदाभिहित सेवा प्रदाता को प्रस्तुत किये गये किसी आवेदन या अन्य दस्तावेज में कोई मिथ्या कथन करता है या किसी तथ्य का दुर्व्यपदेशन करता है, किसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो बोर्ड द्वारा अधिनियम की धारा 24 के अधीन की जा सकेगी, अधिनियम की धारा 15जख के अधीन कार्रवाई के लिए दायी होगा।

परिवर्तनों की सूचना देने में असफलता के लिए कार्रवाई 21. कोई व्यक्ति जिससे ऐसा करना अपेक्षित हो, विनियम 15 में यथा अपेक्षित परिवर्तनों की सूचना देने में असफल रहता है अधिनियम की धारा 15क के खंड(ख) के अधीन कार्रवाई के लिए दायी होगा।

नये परिवर्धित संबंधित व्यक्तियों के लिए आवेदन करने में असफलता के लिए कार्रवाई 22. कोई मध्यवर्ती या सूचीबद्ध कंपनी जो विनियम 16 की अनुपालना सुनिश्चित करने में असफल रहती है अधिनियम की धारा 15जख के अधीन कार्रवाई के लिए दायी होगी।

अनुसूची

[भाप्रविबो [बाजार सहभागियों के केंद्रीय डाटाबेस] विनियम,2003 का विनियम 12 देखें]

प्ररूप क

आवेदन प्ररूप / परिवर्तनों की सूचना देने के लिए प्ररूप - प्रकृत व्यक्ति

इस आवेदन के तीन भाग हैं, भाग क, ख और ग। भाग ख भाप्रविबो (सेबी) के पास रजिस्ट्रीकृत मध्यवर्ती के कर्मचारी द्वारा भरा जाना है।

(केवल पीओएस द्वारा उपयोग के लिए) आवेदन फीस : रु. _____ (केवल डिमांड ड्राफ्ट)

टीआइएन :	बैंक में आहरित		
__/__/____ को डाटा डाला गया	डिमांड ड्राफ्ट सं.		में देय

कृपया स्पष्ट अक्षरों में भरें। कृपया सुसंगत बॉक्स में निशान लगायें जहाँ कहीं भी विकल्प उपलब्ध है।

☐ **प्रथम आवेदक** ☐ **संशोधन** **विशिष्ट पहचान संख्या** ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

(कृपया केवल संशोधन के मामले में दें)

भाग क - वैयक्तिक ब्यौरे

लिंग: ☐ पुरुष ☐ स्त्री **जन्मतिथि:** ☐☐ दिन ☐☐ मास ☐☐☐☐ वर्ष

प्रथम नाम	श्री/ श्रीमती/ सुश्री
मध्य नाम	
अंतिम नाम	

(ऊपर लिखा गया नाम पहचान पत्र में दिया जायेगा)

पिता का / पति का नाम	श्री
माता का नाम *	श्रीमती
पीएएन सं.	

नोट: कृपया पीएएन कार्ड की प्रति उपलब्ध करायें।

* - कृपया केवल प्रथम नाम लिखें। उदाहरण के लिए, यदि माता का पूरा नाम 'गिरिजा रामलाल मेहरा' है, तो कृपया केवल 'गिरिजा' लिखें।

पता:

मकान सं./अपार्टमेण्ट का नाम /ब्लॉक सं.			
सड़क/मार्ग / गली			
क्षेत्र			
नगर/ पोस्ट / तालुका		**पिनकोड**	☐☐☐☐☐☐

टेलीफोन : कार्यालय/निवास ☐☐☐☐☐ एसटीडी कोड ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ टेलीफोन संख्या

मैं एतद्द्वारा मेरी पहचान और पते के सबूत के तौर पर निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियाँ प्रस्तुत करता/करती हूँ। **(आवेदन प्ररूप प्रस्तुत करते समय पीओएस के पास सत्यापन के लिए मूल दस्तावेज लाने चाहिएँ)**

पहचान का सबूत

☐ पासपोर्ट ☐ चालक का लाइसेंस ☐ पीएएन कार्ड फोटो सहित ☐ मतदाता पहचान-पत्र ☐ एमएपीआइएन के अधीन रजिस्ट्रीकृत नियोक्ता द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र

कृपया प्रस्तुत किये गये दस्तावेज के ब्यौरे उपलब्ध करायें	दस्तावेज सं.	जारी करने का स्थान	जारी करने की तारीख
			दि दि मा मा व व व व

पते का सबूत

☐ पासपोर्ट ☐ मतदाता पहचान-पत्र ☐ ड्राइविंग लाइसेंस ☐ बैंक पासबुक ☐ किरायां करारनामा ☐ राशन कार्ड

☐ फ्लैट अनुरक्षण बिल ☐ टेलीफोन बिल ☐ बिजली का बिल ☐ नियोक्ता द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र जिस पर विशिष्ट पहचान संख्या दी गयी है ☐ बीमा पॉलिसी

कृपया प्रस्तुत किये गये दस्तावेज के ब्यौरे उपलब्ध करायें	दस्तावेज सं.	जारी करने का स्थान	जारी करने की तारीख
			दि दि मा मा व व व व

घोषणा

☐ मैंने विशिष्ट पहचान संख्या के लिए पहले आवेदन नहीं किया है और मैं पहली बार आवेदन कर रहा/रही हूँ।

या

☐ मैंने पहले रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है और मुझे विशिष्ट पहचान संख्या आबंटित की गयी है। यह आवेदन पहले दी गयी जानकारी में हुए परिवर्तनों की सूचना के लिए है।

मैं घोषित करता/करती हूँ कि मैं _____ के तौर अपनी हैसियत में विशिष्ट पहचान संख्या के लिए आवेदन कर रहा/रही हूँ। मैं प्रमाणित करता /करती हूँ कि मेरे द्वारा इस प्ररूप में दी गयी जानकारी सत्य और सही है।

हस्ताक्षरः		
तारीखः **स्थानः**	**आवेदक के हस्ताक्षर (रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की उपस्थिति में काली स्याही से हस्ताक्षर किये जाएँ)**	**ऊपर दी गयी जानकारी को मेरे समक्ष प्रस्तुत मूल दस्तावेजों से सत्यापित किया गया है [रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर]**

अभिस्वीकृति

भाग- I

☐ **प्रथम आवेदक** ☐ **संशोधन** **विशिष्ट पहचान संख्या** | | | | | | | | | | |

(कृपया केवल संशोधन के मामले में उपलब्ध करायें)

(केवल पीओएस द्वारा उपयोग के लिए)

टीआइएन :

हम फीस सहित दिये गये आवेदन प्ररूप की प्राप्ति की अभिस्वीकृति देते हैं। पहचान पत्र नीचे उल्लिखित तारीख को प्राप्त किया जा सकता है।

दि	दि	मा	मा	व	व	व	व

तारीखः **पीओएस की मुद्रा और हस्ताक्षर**

भाग ख

विनिर्दिष्ट मध्यवर्तियों के निदेशकों / भागीदारों / स्वत्वधारियों / कार्मिकों द्वारा भरा जाए

नियोक्ता की विशिष्ट पहचान संख्या									

कर्मचारी की नियुक्ति की तारीख दिन मास वर्ष

अर्हताएँ

अर्हताएँ	जारीकर्ता प्राधिकारी	(तारीख) तक विधिमान्य (यदि लागू है)
		मास वर्ष

प्रशिक्षण - जानकारी

प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम	निम्नलिखित द्वारा संचालित	तारीख से	तारीख तक
		दि दि मा मा व व व व	दि दि मा मा व व व व

क्या इस व्यक्ति को **अनुपालना अधिकारी** के तौर पर नियुक्त किया गया है?	हाँ / नहीं	यदि हाँ,तो कृपया मध्यवर्ती का (के) प्रकार* दें
		1)
		2)
		3)

*मध्यवर्ती के प्रकार का अर्थ है - भाप्रविबो से अभिप्राप्त रजिस्ट्रीकरण का प्रकार। उदाहरण के लिए 'मर्चेंट बैंककार-प्रवर्ग।' या 'रजिस्ट्रार और अंतरण अभिकर्ता-प्रवर्ग ॥'। यदि मध्यवर्ती स्टाक दलाल/ उप-दलाल है तो कृपया पूरा विवरण दें। उदाहरण के लिए 'स्टाक दलाल - कखग स्टाक एक्सचेंज' या 'उप-दलाल - कखग स्टाक एक्सचेंज'

घोषणाः

_____की ओर से, हम एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं कि हमने भाग क और भाग ख के अधीन दिये गये ब्यौरों को सुसंगत मूल दस्तावेजों से सत्यापित कर लिया है और हमारा समाधान हो गया है कि दिये गये ब्यौरे सत्यापित दस्तावेजों के अनुसार हैं।

नियोक्ता का प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
	अनुपालन अधिकारी	
	पूर्णकालिक निदेशक	

भाग ग

सहयोजन / वियोजन स्थापित करने के लिए प्ररूप

[नोटः (1) यह प्ररूप भाप्रविबो (बाजार मध्यवर्तियों के केंद्रीय डाटाबेस) विनियम, 2003 के अधीन यथा परिभाषित विभिन्न भूमिकाओं में व्यक्तियों और निगमों के बीच सहयोजन/वियोजन सूचित करने के लिए है। इस प्ररूप को तब प्रस्तुत करना होगा जब कंपनी/मध्यवर्ती को विशिष्ट पहचान संख्या आबंटित कर दी गयी हो। (2) कृपया सहयोजन और वियोजन के लिए अलग-अलग प्ररूप प्रस्तुत करें।]

☐ सहयोजन के लिए अनुरोध ☐ वियोजन के लिए अनुरोध

आवेदक का नाम									
विशिष्ट पहचान संख्या									

(यदि भाग क और ख के साथ प्रस्तुत किया गया है तो नहीं भरा जाए।)

मैं अपने और इसमें नीचे सूचीबद्ध सत्ताओं के बीच सहयोजन/वियोजन की सूचना नीचे दिये गये ब्यौरे के अनुसार देता /देती हूँ, ।

निगमित निकाय / अन्य व्यक्ति का नाम	निगमित निकाय की विशिष्ट पहचान संख्या	संबंध (नोट 1 और 2 देखें)	मध्यवर्ती का प्रकार (नोट 3 देखें)

टिप्पण :

1. विनिर्दिष्ट सूचीबद्ध कंपनी से संबंध हैं - सहयुक्त, अनुपालना अधिकारी, निदेशक, प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक, संप्रवर्तक, पदाभिहित कर्मचारी, समनुषंगी/नियंत्री कंपनी और उपर्युक्त के नातेदार।
2. मध्यवर्ती से संबंध हैं - सहयुक्त/आस्ति प्रबंध कंपनी, निदेशक, प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक / भागीदार/स्वत्वधारी, संप्रवर्तक/प्रायोजक, कार्मिक, अनुपालना अधिकारी, निवेशक संघ का पदाधिकारी और उपर्युक्त के नातेदार।
3. कृपया 'मध्यवर्ती के प्रकार' का उल्लेख करें यदि चुनी गयी भूमिका मध्यवर्ती के अनुपालना अधिकारी की है।
4. यदि अपेक्षित हो तो कृपया अतिरिक्त पन्ने संलग्न करें जिनमें ऊपर कथित प्ररूप में ब्यौरे अंतर्विष्ट हों। अतिरिक्त पन्ना विधिवत् हस्ताक्षरित होना चाहिए।

घोषणा

मैं घोषणा करता/करती हूँ और कथन करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा इस प्ररूप में दी गयी जानकारी सत्य और सही है। मैं स्वयं द्वारा उपलब्ध करवायी गयी जानकारी में किन्हीं परिवर्तनों की सूचना पदाभिहित सेवा प्रदाता को देने का वचन देता/देती हूँ।

तारीखः स्थानः	आवेदक के हस्ताक्षर

अभिस्वीकृति

भाग ग

सहयोजन / वियोजन स्थापित करने के लिए प्ररूप

☐ सहयोजन के लिए अनुरोध ☐ वियोजन के लिए अनुरोध

टीआइएन :

विशिष्ट पहचान संख्या									

(यदि भाग क और भाग ख के साथ प्रस्तुत किया गया है तो नहीं भरा जाए)

हम आवेदन प्ररूप की प्राप्ति की अभिस्वीकृति देते हैं। संबंध जिसके लिए आवेदन किया गया है __/__/_____ तक स्थापित किया जायेगा।

तारीख: रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर और मुद्रा

प्ररूप ख

आवेदन प्ररूप / परिवर्तन सूचित करने के लिए प्ररूप - निगमित निकाय और अन्य व्यक्ति

[नोटः विनियम 12(2) में उल्लिखित सभी व्यक्ति भाग क और भाग ग भरेंगे। यदि आवेदक विनिर्दिष्ट मध्यवर्ती है, तो यह इस प्ररूप का भाग क, ख और ग भरेगा]

(केवल पीओएस द्वारा उपयोग के लिए)

टीआइएन पहचानः
__/__/____ को डाटा डाला गया

आवेदन फीस -रु. --- (केवल डिमांड ड्राफ्ट)

			बैंक में आहरित
डिमांड ड्राफ्ट सं.			में संदेय

भाग क

☐ प्रथम आवेदक ☐ संशोधन विशिष्ट पहचान सं. (कृपया केवल संशोधन के मामले में दें)

संगठन का नाम (यहाँ लिखा गया नाम पहचान पत्र में दिया जायेगा)	
संक्षिप्त नाम	

पिछले नाम (यदि कोई हो)	प्रभावी तारीख
1)	
2)	
3)	
4)	
5)	

दि दि मा मा व व व व

इस आवेदन की तारीख को संगठन का रूप (कृपया केवल एक पर निशान लगायें)

☐ सार्वजनिक मर्यादित कंपनी	☐ निजी मर्यादित कंपनी	☐ गारंटी द्वारा मर्यादित कंपनी
☐ अनुसूचित वाणिज्य बैंक	☐ शहरी बैंक	☐ सहकारी बैंक
☐ रजिस्ट्रीकृत न्यास	☐ गैरजिस्ट्रीकृत न्यास	☐ स्वत्वधारिता
☐ रजिस्ट्रीकृत भागीदारी फर्म	☐ गैरजिस्ट्रीकृत भागीदारी फर्म	☐ गैर बैंकिंग वित्त कंपनी
☐ रजिस्ट्रीकृत सोसायटी	☐ गैरजिस्ट्रीकृत सोसायटी	

नोटः कंपनी रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रीकृत कंपनियों को किसी भी कंपनी विकल्प या गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी विकल्प पर निशान लगाना चाहिए।

रजिस्ट्रीकरण सं.		**रजिस्ट्रीकरण / विरचना की तारीख**	दि दि मा मा व व व व

रजिस्ट्रीकरण का राज्य		**मुख्यालय का नगर**	

नोटः

(i) रजिस्ट्रीकरण दस्तावेज/भागीदारी विलेख/न्यास विलेख की प्रति प्रस्तुत की जाए।

(ii) आवेदन प्ररूप प्रस्तुत करते समय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा मूल दस्तावेजों का सत्यापन किया जायेगा।

क्र.	स्टाक एक्सचेंज जिसमें कंपनी सूचीबद्ध है (यदि लागू हो)
1	
2	
3	
4	

पत्र-व्यवहार के लिए पताः (भाप्रविबो द्वारा उपयोग में लाया जानेवाला डाक पता)

मकान सं./अपार्टमेण्ट का नाम /ब्लॉक			
सड़क/मार्ग/गली			
क्षेत्र			
नगर/पोस्ट/तालुका		**पिनकोड**	

टेलीफोनः कार्यालय/निवास

एसटीडी कोड

टेलीफोन संख्या

पते का सबूत (कृपया निशान लगायें)

☐ आयकर विवरणी की प्रति ☐ बैंक विवरण ☐ इजाज़त और अनुज्ञप्ति करारनाम ☐ विक्रय करारनामा

☐ कंपनी रजिस्ट्रार रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र

कृपया प्रस्तुत दस्तावेज के ब्यौरे उपलब्ध करायें	दस्तावेज सं.	जारी करने का स्थान	दस्तावेज की तारीख
			दि दि मा मा व व व व

घोषणा

_____, की ओर से हम निम्नलिखित की पुष्टि करते हैं:

☐ हमने विशिष्ट पहचान संख्या के लिए इस आवेदनपत्र में पहले आवेदन नहीं किया है और हम पहली बार आवेदन कर रहे हैं।

या

☐ हमने पहले रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है और हमें विशिष्ट पहचान संख्या आबंटित की गयी है। यह आवेदन पहले दी गयी जानकारी में परिवर्तनों की सूचना के लिए है।

हम घोषित करते हैं कि यह आवेदन _____ के तौर पर आवेदक की हैसियत में किया गया है।हम प्रमाणित करते हैं कि इस प्ररूप में दी गयी जानकारी सत्य और सही है।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
	कंपनी सचिव/ लेखापरीक्षक	
	पूर्णकालिक निदेशक/ प्रबंध न्यासी/ प्रबंध भागीदार/ स्वत्वधारी	

स्थान:
तारीख:

अभिस्वीकृति

भाग-क

☐ **प्रथम आवेदक** ☐ **संशोधन** **विशिष्ट पहचान संख्या** | | | | | | | | | | |

(कृपया केवल संशोधन की दशा में उपलब्ध करायें)

(केवल पीओएस द्वारा उपयोग के लिए)

टीआइएन :

हम फीस सहित आवेदन प्ररूप की प्राप्ति की अभिस्वीकृति देते हैं। कृपया पहचान पत्र नीचे उल्लिखित तारीख को प्राप्त करें।

दि	दि	मा	मा	व	व	व	व

तारीख: **पीओएस की मुद्रा और हस्ताक्षर**

भाग ख

यदि आवेदक एक विनिर्दिष्ट मध्यवर्ती है तो ब्यौरे दिये जाएँ

शुद्ध मालियत (लाख रु. में निकटतम लाख में पूर्णांकित)										

__/__/____को समाप्त वर्ष को

मध्यवर्ती का प्रकार #	भाप्रविबो (सेबी) रजिस्ट्रीकरण सं.	भाप्रविबो रजिस्ट्रीकरण तारीख							
		दि	दि	मा	मा	व	व	व	व

कृपया नीचे दी गयी सूची में से लिखें। यदि स्थान पर्याप्त नहीं है, तो कृपया अतिरिक्त पन्ने संलग्न करें जिनमें ऊपर कथित फॉर्मेट में ब्यौरे अंतर्विष्ट हों। अतिरिक्त पन्ना संगठन के पत्रशीर्ष पर मुद्रित हो और विधिवत् हस्ताक्षरित हो। भाप्रविबो के रजिस्ट्रीकरण की संख्या एक से अधिक होने की दशा में, कृपया प्रत्येक का अलग से उल्लेख करें।

क्र	मध्यवर्ती का प्रकार	क्र	मध्यवर्ती का प्रकार
1	निर्गमन बैंककार	12	संविभाग प्रबंधक
2	समाशोधन निगम	13	रजिस्ट्रार और अंतरण अभिकर्ता प्रवर्ग - I
3	सामूहिक विनिधान स्कीम	14	रजिस्ट्रार और अंतरण अभिकर्ता प्रवर्ग - II
4	साख निर्धारण एजेंसी	15	एसएलएस अनुमोदित मध्यवर्ती
5	अभिरक्षक	16	स्टाक दलाल *
6	डिबेंचर न्यासी	17	स्टाक एक्सचेंज
7	निक्षेपागार	18	उप दलाल **
8	निक्षेपागार सहभागी	19	हामीदार
9	निवेशक संघ (भाप्रविबो द्वारा मान्यताप्राप्त)	20	जोखिम पूँजी निधि
10	मर्चेंट बैंककार प्रवर्ग - I		
11	पारस्परिक निधि		
* स्टाक दलाल के मामले में, कृपया निम्नलिखित प्ररूप में उल्लेख करें 'स्टाक दलाल -कखग स्टाक एक्सचेंज'		** उप- दलाल के मामले में, कृपया निम्नलिखित प्ररूप में उल्लेख करें 'उप दलाल - कखग स्टाक एक्सचेंज'	

घोषणा

_____ की ओर से, हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं और कथन करते हैं कि इस प्ररूप में दी गयी जानकारी सत्य और सही है।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
	अनुपालना अधिकारी	
	पूर्णकालिक निदेशक	

(केवल पीओएस द्वारा उपयोग के लिए)

एतद्द्वारा यह पुष्टि की जाती है कि उपर्युक्त जानकारी को प्रस्तुत मूल दस्तावेजों से सत्यापित किया गया है और ऐसे दस्तावेजों के अनुसार पाया गया है।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर:

मुद्रा:

भाग ग

सहयोजन / वियोजन स्थापित करने के लिए प्ररूप

[नोट: (1) यह प्ररूप मध्यवर्ती / सूचीबद्ध कंपनी / विनिधानकर्ता के बीच संबंधित व्यक्तियों और ऐसे अन्य व्यक्तियों के साथ सहयोजन/वियोजन सूचित करने के लिए है जैसा कि इस इन विनियमों के अधीन अपेक्षित हैं । इस प्ररूप को तब प्रस्तुत करना होगा जब कंपनी/मध्यवर्ती को विशिष्ट पहचान संख्या आबंटित कर दी गयी हो। (2) कृपया सहयोजन और वियोजन के लिए अलग-अलग प्ररूप प्रस्तुत करें।]

☐ **सहयोजन के लिए अनुरोध** ☐ **वियोजन के लिए अनुरोध**

आवेदक का नाम									
आवेदक का स्वरूप	**मध्यवर्ती /सूचीबद्ध कंपनी / अन्य निगम**								
विशिष्ट पहचान संख्या									

हम हमारे संगठन और इसमें नीचे सूचीबद्ध सत्ताओं के बीच सहयोजन/वियोजन की सूचना नीचे दिये गये ब्यौरों के अनुसार देते हैं।

नाम	विशिष्ट पहचान संख्या	संबंध (नोट 1 और 2 देखें)	मध्यवर्ती का प्रकार (नोट 3 देखें)

नोट:

1. विनिर्दिष्ट कंपनी से संबंध हैं - सहयुक्त, अनुपालना अधिकारी, निदेशक, प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक, संप्रवर्तक, पदाभिहित कर्मचारी, समनुषंगी/नियंत्री कंपनी और उपर्युक्त के नातेदार।
2. विनिर्दिष्ट मध्यवर्ती से संबंध हैं - सहयुक्त/आस्ति प्रबंध कंपनी, निदेशक, प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक / भागीदार/स्वत्वधारी, संप्रवर्तक/प्रायोजक, कार्मिक, अनुपालना अधिकारी, निवेशक संघ का पैदाधिकारी और उपर्युक्त के नातेदार।
3. कृपया 'मध्यवर्ती के प्रकार' का उल्लेख करें यदि चुनी गयी भूमिका मध्यवर्ती के अनुपालना अधिकारी की है। आवेदन प्ररूप के भाग ख में मध्यवर्तियों की संपूर्ण सूची दी गयी है।
4. यदि अपेक्षित हो तो कृपया अतिरिक्त पन्ने संलग्न करें जिसमें ऊपर कथित फॉर्मेट में ब्यौरे अंतर्विष्ट हों। अतिरिक्त पन्ना पत्रशीर्ष पर मुद्रित और विधिवत् हस्ताक्षरित होना चाहिए।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
	अनुपालना अधिकारी	
	पूर्णकालिक निदेशक	

अभिस्वीकृति

भाग ग

सहयोजन/वियोजन स्थापित करने के लिए प्रपत्र

☐ सहयोजन के लिए अनुरोध ☐ वियोजन के लिए अनुरोध

टीआइएन :

विशिष्ट पहचान संख्या									

(यदि भाग क और भाग ख के साथ प्रस्तुत किया गया है तो नहीं भरा जाए)

हम आवेदन प्रपत्र की प्राप्ति की अभिसूचना देते हैं। संबंध जिसके लिए आवेदन किया गया है __/__/_____ तक स्थापित किया जायेगा।

तारीख: रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर और मुद्रा

ज्ञानेन्द्र नाथ बाजपेयी, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/IV/69-जैड बी/2003/असा.]

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 20th November, 2003

Securities and Exchange Board of India (Central Database of Market Participants) Regulations, 2003

F. No. SEBI/LE//26/2003.— In exercise of the powers conferred by Section 30 read with Sections 11, 11A, 12 and 19 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following Regulations, namely :—

CHAPTER I
PRELIMINARY

Short title and commencement.

1 (1) These Regulations may be called Securities and Exchange Board of India (Central Database of Market Participants) Regulations, 2003.

(2) These Regulations shall come into force on such date as may be specified by the Board:

Provided that different dates may be specified for different provisions of these regulations and any reference in any such provision to the commencement of these regulations shall be construed as a reference to the commencement of that provision.

Definitions

2 (1) In these Regulations, unless the context otherwise requires:-

(a) 'Act' means the Securities and Exchange Board of India Act, 1992;

(b) 'associate' in relation to an intermediary or a listed company means a person:

(i) who, directly or indirectly, by himself or in combination with his relatives exercises control over the intermediary or listed company or has a holding of not less than 15% in the paid up equity capital of the intermediary or the listed company;

(ii) in respect of whom the intermediary or listed company directly or indirectly exercises control ;

(iii) whose director or partner is also a director or partner of the intermediary or listed company

Explanation – For the purposes of this clause –

(I) 'control' means control as defined in clause (c) of sub-regulation (1) of regulation 2 of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 1997;

(II) 'director' does not include a nominee director;

(III) 'person' means a natural person, a company registered under the Companies Act, 1956, a body corporate, a partnership concern, a trust or society registered under the Societies Registration Act, 1860 or any other legal entity.

(c) 'Board' means the Securities and Exchange Board of India established under section 3 of the Act;

(d) 'Central Database' means the electronic representation and storage of information that may be created and maintained by a Designated Service Provider in respect of the persons who have been allotted unique identification numbers under these regulations;

(e) 'Central Listing Authority' means the Central Listing Authority established under regulation 3 of the Securities and Exchange Board of India (Central Listing Authority) Regulations, 2003;

(f) 'designated employee' in relation to a listed company or a company which intends to get its securities listed means a designated employee within the meaning of the Explanation to clause 1.2 of Part A of Schedule I to the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 1992;

(g) 'Designated Service Provider' means a person so designated by the Board to create and maintain the Central Database on such terms and conditions as may be agreed to between him and the Board and to perform such other functions under these regulations as may be delegated to him by the Board;

(h) 'intermediary' means any person who is registered with the Board under section 12 of the Act, but does not include Foreign Institutional Investors and Foreign Venture Capital Investors;

(i) 'investor' means an investor in securities and includes a Foreign Institutional Investor and a Foreign Venture Capital Investor;

(j) 'listed company' means a company whose securities are listed on a recognised stock exchange and includes a public company which intends to get its securities listed on a recognized stock exchange;

(l) 'market participants' means intermediaries, other entities, investors, listed companies and companies which intend to get their securities listed;

(m) 'other entity' means any recognised stock exchange, clearing corporation, approved intermediary under the Securities Lending Scheme, 1997, investor associations and includes any other person granted recognition by the Board, any person required to obtain any license or approval from any self-regulatory organization and any other person associated with the securities market in any manner as may be notified by the Board in the official gazette;

(n) 'promoter' means -

(1) any person or persons who are directly or indirectly in control of the company; or

(2) any person or persons named as "promoters" in

the offer document or in the shareholding pattern disclosed by the Company under provisions of the Listing Agreement, whichever is later;

and includes,

(A) where such person is an individual,

(i) his spouse, parents, brothers, sisters or children;

(ii) any company in which 26% or more of the equity share capital is held by him or by the persons mentioned in sub-clause (i) or any firm or Hindu Undivided Family in which he or any of the persons mentioned in sub-clause (i) is a partner or member;

(iii) any company in which a company specified in sub-clause (ii) above, holds more than 50% of the equity share capital;

(iv) any firm in which the aggregate of his holding and the holdings of the persons mentioned in sub-clause (i) is more

(B) where such person is a body corporate,

(i) a subsidiary or holding company of that body corporate;

(ii) any company in which the said body corporate holds 26% or more of the equity share capital;

(iii) any company which holds 26% or more of the equity share capital of the said body corporate;

(iv) any company in which a group of persons holds 26% or more of the equity share capital and that group of persons also holds 26% or more of the equity share capital in such body corporate;

(v) any other body corporate under the

same management as the said body corporate within the meaning of sub-section (1B) of section 370 of the Companies Act, 1956;

Explanation I : A Financial Institution, Scheduled Commercial Bank, Foreign Institutional Investor or Mutual fund shall not be deemed to be a promoter merely by virtue of its shareholding.

Explanation II : A Financial Institution, Scheduled Commercial Bank or Foreign Institutional Investor shall be deemed to be a promoter of its subsidiary and of the mutual funds sponsored by it.

(o) 'recognised stock exchange' means a stock exchange which has been granted recognition under section 4 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956;

(p) 'relative' in relation to a natural person means his spouse, dependant children and dependant parents;

(q) 'related persons' means the persons specified in clause (b) of sub-regulation (1) of regulation 4 in respect of an intermediary or other entity and persons specified in clause (b) of regulation 5 in

respect of a listed company or a company intending to get its securities listed;

(r) 'Schedule' means a Schedule annexed to these regulations;

(s) 'securities' means securities as defined in clause (h) of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956;

(t) 'self-regulatory organization' means an organization of intermediaries which is representing a particular segment of the securities market and formed as a company duly recognized with the Board and excludes a stock exchange;

(u) 'specified intermediaries' mean such intermediaries or other entities as may be specified by the Board in the notification published in the official gazette pursuant to sub-regulation (1) of regulation 4;

(v) 'specified investors' mean such investors as may be specified by the Board in the notification published in the official gazette pursuant to sub-regulation (1) to regulation 6;

(w) 'specified listed company' means such companies as may be specified by the Board in the notification published in the official gazette pursuant to regulation 5; and,

(x) unique identification number means the identification number generated in the Central Database for and allotted to each applicant under these regulations.

(2) (a) Words and expressions used and not defined in these regulations shall have the meanings, if any, respectively assigned to them under the Act.

(b) Words and expressions used and not defined either in these regulations or the Act, shall have the meanings, if any, respectively assigned to them in the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 or any statutory modification or re-enactment thereof.

(c) Words and expressions used and not defined either in these regulations, or in the Act or in the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 shall have the meanings, if any, respectively assigned to them under the Companies Act, 1956, or any statutory modification or re-enactment thereof.

CHAPTER II
REQUIREMENT OF OBTAINING UNIQUE IDENTIFICATION NUMBERS

Unique Identification Numbers for market participants

3 Every specified intermediary, other entity, specified listed company and specified investor shall make application for

allotment of unique identification numbers for itself and for its related persons in accordance with these regulations.

Specified intermediary and other entity to obtain unique identification numbers

4 (1) On and from such date as may be notified by the Board in the official gazette, no specified intermediary or other entity shall act as such, unless –

(a) it has obtained a unique identification number from the Designated Service Provider ; and,

(b) the following related persons have been allotted unique identification numbers by the Designated Service Provider:

(i) its principal officer and personnel engaged in the operational activities of the intermediary for which a certificate of registration is required or taken from the Board;

(ii) its promoters, other than the Central or State Government or any statutory authority;

(iii) its directors, in case it is a body corporate;

(iv) its partners, in case it is a partnership firm;

(v) its associates and their directors;

(vi) the sponsors, trustees, asset management companies and asset managers, where applicable;

(vii) its proprietor, where applicable; and,

(viii) relatives of the natural persons mentioned in sub-clauses (i) to (vii) above.

Provided that such person may continue to act as an intermediary or other entity if it has made applications for allotment of unique identification number under regulation 7 before the notified date and where such application has been rejected by the Board, an appeal has been filed and such appeal is pending for disposal.

(2) Every certificate of registration issued to a specified intermediary by the Board after commencement of these regulations shall be subject to the condition that prior to commencement of its activities, the intermediary shall obtain a unique identification number for itself and for the persons mentioned in clause (b) of sub-

regulation (1) in accordance with these regulations.

Specified listed company to obtain unique identification number

5 On and from such date as may be notified by the Board in the official gazette, no specified listed company or a company which intends to get its securities listed shall issue any securities which are proposed to be listed on a recognized stock exchange, unless –

a. it has obtained a unique identification number from the Designated Service Provider ; and,

b. the following related persons have been allotted unique identification numbers by the Designated Service Provider:

(i) its promoters, other than the Central or State Government or any statutory authority;

(ii) its directors and officers;

(iii) its designated employees;

(iv) its subsidiaries, its holding company and the holding company's subsidiaries, if any;

(v) its associates and their directors; and,

(vi) relatives of the natural

persons mentioned in sub-clauses (i) to (iii) and (v) above.

Provided that a specified listed company may, make an issue of securities which are proposed to be listed in any recognized stock exchange if it has made an application for allotment of unique identification number before the notified date, till the disposal of the application and where an appeal has been filed, till such appeal is disposed of.

Specified investors to obtain unique identification numbers

6 (1) On and from such date as may be notified by the Board in the Official Gazette, no specified investor, not being a body corporate, shall buy, sell or deal in any securities which are listed on any recognized stock exchange or in units of a mutual fund or a collective investment scheme or subscribe to securities which are proposed to be listed in any recognized stock exchange or units of a mutual fund or a collective investment scheme unless he has been allotted a unique identification number.

(2) On and from such date as may be notified by the Board in the Official Gazette, no specified investor being a

body corporate shall buy, sell or deal in any securities which are listed on any recognized stock exchange or in units of a mutual fund or a collective investment scheme or subscribe to securities which are proposed to be listed in any recognized stock exchange or units of a mutual fund or a collective investment scheme unless such specified investor, its promoters and directors have been allotted unique identification numbers.

(3) On and from such date as may be notified by the Board in the Official Gazette, no specified investor, being a Foreign Institutional Investor, a sub-account or a Foreign Venture Capital Investor shall buy, sell or deal in any securities which are listed on any recognized stock exchange or in units of a mutual fund or a collective investment scheme or subscribe to securities which are proposed to be listed in any recognized stock exchange or units of a mutual fund or a collective investment scheme unless it has been allotted a unique identification number.

(4) No intermediary shall, after such specified date, deal in or allot such securities on behalf of or to a specified

investor unless the investor has been allotted a unique identification number.

(5) Nothing in this regulation shall apply to any specified investor who has applied for allotment of a unique identification number under regulation 9 before the notified date, till the disposal of his application or, where he has filed an appeal, till the disposal of the appeal, as the case may be.

Application by specified intermediary or other entity

7 Every specified intermediary or other entity shall make an application in accordance with sub-regulation (1) of regulation 12 to the Designated Service Provider for allotment of unique identification numbers for itself and for its related persons.

Application by specified listed company

8 (1) Every specified listed company shall make an application to the Designated Service Provider in accordance with sub-regulation (2) of regulation 12 for allotment of unique identification numbers for itself and for its related persons.

(2) Every public company specified in the notification issued under regulation 5 and which intends to get its securities listed in a recognized stock exchange shall make an application to the Designated Service Provider for

allotment of unique identification numbers for itself and for the related persons mentioned in clause (b) of regulation 4 simultaneously with the filing of the offer document with the Central Listing Authority.

Application by specified investor

9 Every specified investor shall make an application to the Designated Service Provider in accordance with sub-regulation (3) of regulation 12 for allotment of a unique identification number.

Person holding a unique identification number not required to obtain another unique identification number

10 Notwithstanding anything contained in these regulations, no person shall be obliged to apply for or be allotted another unique identification number, if he already holds a unique identification number allotted to him under these regulations in any other capacity.

Provided that where any person holding a unique identification number subsequently becomes an intermediary or a listed company or a related person of any of them, he shall disclose such fact to the Designated Service Provider.

Maintenance of records

11 The Designated Service Provider shall maintain such books, records and documents, in such manner and for such period as may be specified by the Board.

CHAPTER III
GRANT AND REVOCATION OF UNIQUE IDENTIFICATION NUMBERS

Format of application

12 (1) Every application made by a specified investor or a related person of a specified intermediary or specified listed company being a natural person, under regulation 7, 8 or 9, as the case may be, shall be in Form A specified in the Schedule and shall be accompanied with a fee as specified in the notifications issued under regulations 4, 5 or 6, as the case may be.

(2) Every application made by a specified listed company, specified intermediary, a related person of any of the above or a specified investor, not being a natural person, under regulation 7, 8 or 9, as the case may be, shall be in Form B specified in the Schedule and shall be accompanied with a fee as specified in the notifications issued under regulations 4, 5 or 6, as the case may be.

Procedure on receipt of application

13 (1) Upon receipt of an application for allotment of unique identification number under these regulations, the

Designated Service Provider shall, if the application is not found defective, allot to the applicant a unique identification number within thirty days of receipt of the application.

(2) Where it is found that any such application is defective, the Designated Service Provider may intimate the defect to the applicant and give it an opportunity to rectify the defect within a period of fifteen days from the date of such intimation or within such further period which the Board may allow on a request made in this behalf.

(3) Where any defect in the application is intimated under sub-regulation (2) and the defect is not rectified by the applicant within the said period of fifteen days or, as the case may be, further period allowed under sub-regulation (2), then, notwithstanding anything contained in any other provision of this Chapter, Designated Service Provider shall refer the application to the Board, which may either direct the Designated Service Provider to allot the unique identification number or reject the application after giving an opportunity to the applicant to make representations.

Criteria to determine specified intermediaries, specified listed companies and specified investors

14 For the purposes of specifying the intermediaries, listed companies or investors under sub-regulation (1) of regulation 4 or regulation 5 or sub-regulation (1) of regulation 6, the Board may take into consideration the following factors:

(a) with regard to intermediaries or other entities – their kind and the nature of functions performed by them, their networth and other similar factors;

(b) with regard to listed companies or companies which intend to get their securities listed – their paid up capital, the number of their public shareholders, the volume of trading in their securities, the proposed issue size and other similar factors; and,

(c) with regard to investors – the quantum of investment made by them in the securities of any listed company or their volume of trading in securities in a particular financial year.

Duty not to make false statements and revocation of unique identification number

15 (1) No person shall make a false statement or misrepresent any fact in any application made to the Designated Service Provider under these regulations.

(2) Every application made to the Designated Service Provider under these regulations and every intimation made under regulation 17 shall be certified to be true and correct :

(a) in case of an intermediary, by its whole time director, managing partner, managing trustee or sole proprietor, as the case may be, and by its compliance officer;

(b) in case of a listed company, by its whole time director and its company secretary or auditor; and,

(c) in case of an investor, by him.

Revocation of unique identification number

16 (1) Where it is found that the unique identification number was obtained by a person through fraud or misrepresentation or was allotted to him under a mistake, the Board may, without prejudice to other action that it may take under any law for the time being in force and after giving him an opportunity of making representations, revoke the unique identification number allotted to him or to the related persons.

(2) Upon revocation of the unique identification number of a person, the provisions of these regulations shall apply from the date of revocation, as if no unique identification number was allotted to him.

(3) Every order passed by the Board under these regulations shall be in writing.

CHAPTER IV
CONTINUING OBLIGATIONS

Duty to intimate changes

17 (1) Every person who has been allotted a unique identification number under

these regulations shall intimate the changes if any, in the particulars submitted by him in the application, to the Designated Service Provider, in such electronic or other manner as may be specified by the Board, within thirty days of occurrence of the change.

(2) Every intermediary shall exercise due diligence to satisfy itself that its clients, being specified investors, have complied with sub-regulation (1).

Duty to seek unique identification numbers for newly added related persons

18 (1) Every specified intermediary and other entity shall within thirty days of any person becoming a related person, ensure that such person has been allotted or has applied for a unique identification number.

(2) Every specified listed company shall within thirty days of any person becoming a related person, ensure that such person has been allotted or has applied for a unique identification number.

CHAPTER V
ACTION IN CASE OF VIOLATION

Action for acting, dealing etc. without obtaining unique identification number

19 Any person who issues any security or buys, sells or deals in any securities in contravention of these regulations shall be liable for –

(a) action under sub-section (4) of section 11 of the Act;

(b) delisting of securities;

(c) being debarred from acting in any capacity in any security market related institution;

(d) such other action as may be deemed appropriate by the Board in the facts and circumstances of the case.

Provided that no such action shall be taken without following the procedure laid down under the relevant rules or regulations.

Action for giving false statement

20 Any person who makes any false statement or misrepresents any fact in any application or other document submitted to the Designated Service Provider shall, without prejudice to any action which may be taken under section 24 of the Act by the Board, be liable for action under section 15HB of the Act.

Action for failure to intimate changes

21 Any person who being required to do so, fails to intimate changes as required in regulation 15 shall be liable for actior under clause (b) of section 15A of the Act.

Action for failure to make application for newly added related persons

22 Any intermediary or listed company who fails to ensure compliance with regulation 16 shall be liable for action under section 15HB of the Act.

THE SCHEDULE

[See regulation 12 of SEBI [Central Database of Market Participants] Regulations, 2003]

FORM A

Application Form / Form for intimating changes – Natural Persons

This application has three parts, Part A, B and C. Part B is to be filled in by employee of an Intermediary registered with SEBI.

(For use by POS only)	Application Fee : Rs. _____ (Demand drafts only)			
TIN :	Drawn on Bank			
Data Uploaded on: / /	DD No.		Payable at	

Please fill in BLOCK LETTERS. Please tick relevant boxes wherever option is provided.

☐ **FIRST APPLICATION** ☐ **AMENDMENT** **Unique identification number** | | | | | | | | | |

(Please provide in case of amendment only)

PART A – PERSONAL DETAILS

Gender: ☐ Male ☐ Female **Date of Birth:** | | Day | | | Month | | | | Year

First Name	Mr./ Mrs./ Ms.
Middle name	
Last name	

(Name as written above will appear on the identity card)

Father's/ Husband's Name	Mr.
Mother's Name *	Mrs.
PAN No.	**Note:** Please provide copy of PAN Card

* - Please write First name only. For example, if mother's full name is 'Girija Ramlal Mehra', please write only 'Girija'

Address:

House No./Apt Name/Block No			
Road/Street/Lane			
Area			
City/Post/Taluka		**PIN**	

Telephone: Office/Residence | | | | | | STD Code | | | | | | | | | Telephone Number

I hereby submit copies of the following documents as proof of my identity and address. **(Original documents should be brought for verification to POS at the time of submitting application form)**

Proof of Identity

☐ Passport ☐ Driving License ☐ PAN Card with Photograph ☐ Voter Id ☐ Photo Identity Card issued by Employer registered under MAPIN

Please provide details of document submitted	Document No.	Place of issue	Date of Issue
			d d m m y y y y

Proof of Address

☐ Passport ☐ Voter Id ☐ Driving License ☐ Bank Passbook ☐ Rent Agreement ☐ Ration Card

☐ Flat Maintenance Bill ☐ Telephone Bill ☐ Electricity Bill ☐ Certificate issued by employer holding unique identification number ☐ Insurance Policy

Please provide details of document submitted	Document No.	Place of Issue	Date of Issue
			d d m m y y y y

Declaration

☐ I have not applied for unique identification number earlier and I am applying for the first time.

OR

☐ I have applied for registration earlier and unique identification number has been allotted to me. This application is for intimation of changes in the information given earlier.

I declare that I am applying for unique identification number in my capacity as _____. I certify that the information given by me in this form is true and correct.

Signature:		
Date: **Place:**	**Signature of Applicant (To be signed in black ink in presence of Registration Officer)**	**Information given above has been verified against original documents presented before me [Signature of Registration Officer]**

Acknowledgement

PART - I

☐ **FIRST APPLICATION** ☐ **AMENDMENT** **Unique identification number** | | | | | | | | | | |

(Please provide in case of amendment only)

(For use by POS only)

TIN :

We acknowledge receipt of the application form together with fee. The identity card can be collected on date mentioned below.

d	d	m	m	y	y	y	y

Date: **POS Seal and Signature**

PART B

TO BE FILLED IN BY DIRECTORS / PARTNERS / PROPRIETORS / PERSONNEL OF SPECIFIED INTERMEDIARIES

Employer's unique identification number									

Employee Joining Date Day Month Year

Qualifications

Qualifications	Issuing Authority	Valid upto (Date) (If Applicable)
		Month Year

Training Information

Name of Training Program	Conducted by	From Date	To Date
		d d m m y y y y	d d m m y y y y

Whether this person is appointed as **Compliance Officer**?	Yes / No	If Yes, please provide Intermediary Type(s)*
		1)
		2)
		3)

* Intermediary type means the type of registration obtained from SEBI. For e.g. 'Merchant Banker - Category I' or 'Registrar & Transfer Agent- Category II'. Please mention complete description if intermediary type is stockbroker/ sub-broker. For e.g. '**Stock Broker – XYZ Stock Exchange**' or '**Sub-broker – XYZ Stock Exchange**'.

Declaration:

On behalf of _____, we hereby confirm that we have verified the details given under Part A and Part B with relevant original documents and are satisfied that the details furnished are in accordance with the documents verified.

Employer's Authorised Signatory

Name	Designation	Signature
	Compliance Officer	
	Whole time Director	

PART C

Form for establishing Association / Dissociation

[Note: (1) This form is to notify association/ dissociation between individuals and corporates in various roles as defined under SEBI (Central Database of Market Participants) Regulations, 2003. This form has to be submitted after the Unique ID No. has been allotted to Company/ Intermediary. (2) Please submit separate forms for association and dissociation]

☐ **Request For Association** ☐ **Request For Dissociation**

Name of the Applicant	
Unique identification number	

(not to be filled if submitted with Part A & Part B)

I notify the association/dissociation between me and the entities listed here below, as per the details given below.

Name of the Body Corporate / other person	Unique identification number of the Body Corporate	Relationship (Refer Note 1 & 2)	Type Of Intermediary (Refer Note 3)

Notes:

1. Relationships specific to specified Listed Company are – Associate, Compliance Officer, Director, Managing Director/Whole Time Director, Promoter, Designated Employee, Subsidiary/Holding Company and Relatives of above.
2. Relationships specific to Intermediary are - Associate/Asset Management Company, Director, Managing Director/Whole Time Director/Partner/Proprietor, Promoter/Sponsor, Personnel, Compliance Officer, Office Bearer of Investor Association and Relatives of above.
3. Please mention 'Type of Intermediary' if the role selected is Compliance Officer of Intermediary.
4. Please attach additional sheets containing the details in the above stated format if required. Additional sheet should be duly signed.

Declaration

I declare and state that the information given by me in this form is true and correct. I undertake to inform the designated service provider of any changes in the information provided by me.

Date:	
Place:	Signature of Applicant

Acknowledgement

PART C

Form for Establishing Association / Dissociation

☐ **Request For Association** ☐ **Request For Dissociation**

TIN :

Unique identification number	

(not to be filled if submitted with Part A & Part B)

We acknowledge the receipt of application form. The relationship as applied for will be established by

Date: **Signature of Registration Officer and Seal**

FORM B

Application Form / Form for intimating changes – Bodies Corporate, Intermediaries and other persons

[**Note:** All persons mentioned in regulation 12(2) shall fill up Part A & Part C. If applicant is specified intermediary, it shall fill up Part A, B & C of this form]

(For use by POS only)	Application Fee – Rs. --- (Demand drafts only)
TIN ID:	Drawn on Bank
Data Uploaded on: __ / __ / ____	DD No. \| Payable at

PART A

☐ **FIRST APPLICATION** ☐ **AMENDMENT** **Unique ID No.** | | | | | | | | | |

(Please provide in case of amendment only)

Organisation Name (Name written here will appear on the identity card)	
Short Name	

Previous Names (if any)	**Effective Date**
1)	
2)	
3)	
4)	
5)	

d d m m y y y y

Form of Organisation as on the date of this application (Please tick only one)

☐ Public Limited Company	☐ Private Limited Company	☐ Company Limited by Guarantee
☐ Scheduled Commercial Bank	☐ Urban Bank	☐ Co-operative Bank
☐ Registered Trust	☐ Unregistered Trust	☐ Proprietorship
☐ Registered Partnership Firm	☐ Unregistered Partnership Firm	☐ Non-Banking Finance Company
☐ Registered Society	☐ Unregistered Society	

Note: Entities registered with the Registrar of Companies should tick any of the company options or the NBFC option.

Registration No.		**Registration/ Formation Date**	d d m m y y y y
State of Registration		**Head Office City**	

Note:
(i) Copy of the registration document/partnership deed/trust deed may be submitted.
(ii) Original documents will be verified by Registration Officer at the time of submitting application form.

Sr.	Stock Exchange on which the company is listed (if applicable)
1	
2	
3	
4	

Aduress for Communication: (Mailing address to be used by SEBI)

House No./Apt Name/Block No:			
Road/Street/Lane:			
Area:			
City/Post/Taluka:		**Pin**	

Telephone: STD Code | Telephone Number

Proof of Address (Please Tick)

☐ Copy of Income Tax Return ☐ Bank Statement ☐ Leave & License Agreement ☐ Sale Agreement

☐ ROC Registration Certificate

Please provide details of document submitted	Document No.	Place of Issue	Document Date
			d d m m y y y y

Declaration

On behalf of _____, we hereby confirm the following:

☐ We have not applied for unique identification number under this application earlier and we are applying for the first time.

OR

☐ We have applied for registration earlier and unique identification number has been allotted to us. This application is for intimation of changes in the information given earlier.

We declare that this application is made in the capacity of the applicant as a _____. We certify that the information given in this form is true and correct.

Authorised Signatory

Name	Designation	Signature
	Company Secretary/ Auditor	
	Whole Time Director/ Managing Trustee/ Managing Partner/ Proprietor	

Place:
Date:

Acknowledgement
Part – A

☐ **FIRST APPLICATION** ☐ **AMENDMENT** **Unique identification number** ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

(Please provide in case of amendment only)

(For use by POS only)

TIN :

We acknowledge the receipt of application form together with fee. Please collect the identity card on date mentioned below.

☐☐☐☐☐☐☐☐

d d m m y y y y

Date: **POS Seal and Signature**

PART B

DETAILS TO BE PROVIDED IF THE APPLICANT IS A SPECIFIED INTERMEDIARY

Networth (Rs. in lakh rounded off to the nearest lakh)										

As on year ended __/__/____

Intermediary Type #	SEBI Registration No.	SEBI Registration Date							
		d	d	m	m	y	y	y	y

Please write from the list below. In case space is not sufficient, please attach additional sheets containing the details in the above stated format. Additional sheet may be printed on letterhead of the organisation and duly signed. In case of multiple SEBI registrations, please mention each separately.

Sr	Type of Intermediary	Sr	Type of Intermediary
1	Banker to Issue	12	Portfolio Manager
2	Clearing Corporation	13	Registrar & Transfer Agent Category - I
3	Collective Investment Scheme	14	Registrar & Transfer Agent Category - II
4	Credit Rating Agency	15	SLS Approved Intermediary
5	Custodian	16	Stock Broker *
6	Debenture Trustee	17	Stock Exchange
7	Depository	18	Sub Broker **
8	Depository Participant	19	Underwriter
9	Investor Association (SEBI Recognised)	20	Venture Capital Fund
10	Merchant Banker Category - I		
11	Mutual Fund		
*** In case of Stock Brokers, please mention in the following format 'Stock Broker – XYZ Stock Exchange'**		**** In case of Sub- Brokers, please mention in the following format 'Sub Broker – XYZ Stock Exchange'**	

Declaration

On behalf of _____, we hereby declare and state that the information given in this form is true and correct.

Authorised Signatory

Name	Designation	Signature
	Compliance Officer	
	Whole Time Director	

(for use by POS only)

It is hereby confirmed that the above information is verified with the original documents submitted and found to be in accordance with such documents.

Signature of Registration Officer:

Seal:

PART C

Form for Establishing Association / Dissociation

[**Note:** (1) This form is to notify association/ dissociation between intermediary/listed company/investor with related persons and such other persons as is required under these regulations. This form has to be submitted after the unique identification number has been allotted to Company/ Intermediary. (2) Please submit separate forms for association and dissociation]

☐ **Request For Association** ☐ **Request For Dissociation**

Name of the Applicant									
Nature of the Applicant	Intermediary / Listed Company / Other Corporate								
Unique identification number									

We notify the association/dissociation between our organisation and the entities listed here below, as per the details given below.

NAME	Unique ID No.	Relationship (Refer Note 1 & 2)	Type Of Intermediary (Refer Note 3)

Notes:

1. Relationships specific to specified Listed Company are – Associate, Compliance Officer, Director, Managing Director/Whole Time Director, Promoter, Designated Employee, Subsidiary/Holding Company and Relatives of above.
2. Relationships specific to specified Intermediary are - Associate/Asset Management Company, Director, Managing Director/Whole Time Director/Partner/Proprietor, Promoter/Sponsor, Personnel, Compliance Officer, Office Bearer of Investor Association and Relatives of above.
3. Please mention 'Type of Intermediary' if the role selected is Compliance Officer of Intermediary. A complete list of intermediaries is given in Part B of the application form.
4. Please attach additional sheets containing the details in the above stated format if required. Additional sheet may be printed on letterhead and duly signed.

Authorised Signatory

Name	Designation	Signature
	Compliance Officer	
	Whole time Director	

Acknowledgement

PART C

Form for Establishing Association / Dissociation

☐ **Request For Association** ☐ **Request For Dissociation**

Unique identification number									

We acknowledge the receipt of application form. The relationship as applied for will be established by ___/___/_____

Date: **Signature of Registration Officer and Seal**

G. N. BAJPAI, Chairman

[Advt. III/IV/69-ZB/2003/Exty.]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.